बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत गठित अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की दिनांक 08.02.2019 को हुई बैठक में की गई सिफारिशें/ लिए गए निर्णय

दिनांक 07.03.2018 की ईओआई के प्रत्युत्तर में अक्टूबर, 2018 तथा दिसम्बर, 2018 के महीनों में प्राप्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तकनीकी समिति की दिनांक 23.01.2019 को हुई बैठक में की गई सिफारिशों पर विचार करने हेतु बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सृजन स्कीम के अंतर्गत गठित अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की एक बैठक माननीय मंत्री, खाप्रउ की अध्यक्षता में दिनांक 08.02.2019 को आयोजित की गई थी ।

2. आईएमएसी ने आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से समिति के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और विधिवत बातचीत के उपरांत इसके समक्ष रखी गई कार्यसूची के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए :-

(i) आईएमएसी ने अपने समक्ष रखे गए 05 नए प्रस्तावों में से निम्नलिखित 03 परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया :

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**सेक्टर**	**परियोजना का स्थल**	**राज्य**	**कुल परियोजना लागत (लाख रूपए)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख रूपए)**	**अंक**
1	जेम सेल्स – ईश्वर वाईएस	बागवानी	बीजापुर	कर्नाटक	1012.0	430.81	73
2	कामधेनु मिल्क प्रोडक्ट्स	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	चैन्नई	तमिलनाडु	1288.48	488.78	63
3	शिवरला कोल्ड स्टोरेज	बागवानी	गडग	कर्नाटक	1269.1	325.09	70

(ii) आईएमएसी ने अपने समक्ष रखे गए 05 नए प्रस्तावों में से 02 प्रस्तावों को खारिज किया:

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**सेक्टर**	**परियोजना का स्थल**	**राज्य**	**कुल परियोजना लागत (लाख रूपए)**	**अस्वीकृत करने के कारण/ आधार**
1	मैसर्स नीले बिल्डकॉन प्रा.लि.	बागवानी	अमरावती	महाराष्ट्र	1312.83	सामान्य वर्ग के प्रमोटर ने एससी वर्ग के अंतर्गत आवेदन किया था।
2	मैसर्स कूल क्राप टेक्नोलॉजीज	बागवानी	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर		199.80	एन ई आर वर्ग के अतंर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था परन्तु, निवेश का बहुत थोडा हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रस्तावित था ।

(iii) आईएमएसी ने उखरुल, मणिपुर की मैसर्स मिकपिंगला इंडस्ट्रीज की एक बागवानी परियोजना पर विचार किया जिसे आईएमएसी की दिनांक 11.12.2018 को हुई बैठक में एक विस्तार परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया था क्योंकि आवेदक ने परियोजना के अतंर्गत 15 मिट्रिक टन की शीतागार क्षमता को मौजूदा अवसंरचना के रूप में उद्धृत किया था । आईएमएसी ने पाया कि पीएमए द्वारा दिनांक 13.01.2019 को प्रस्तावित परियोजना स्थल के निगरानी पूर्व दौरे में प्रस्तावित स्थल पर 15 मिट्रिक टन की मौजूदा शीतागार क्षमता नहीं पाई गयी थी । यह भी पाया गया कि प्रमोटर ने यह कहते हुए दिनांक 05.02.2019 का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उनका प्रस्ताव एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए था, आवेदन करते समय 15 मिट्रिक टन की मौजूदा शीतागार क्षमता का उनके द्वारा अनजाने में उल्लेख कर दिया गया था एवं इस प्रकार की 15 मिट्रिक टन की कोई मौजूदा शीतागार क्षमता नहीं है। आईएमएसी ने मामले को तथ्यों का झूठा प्रस्तुतीकरण माना और तदनुसार प्रस्ताव को खारिज कर दिया ।

(iv) आईएमएसी ने अपने समक्ष रखे गए प्रस्तावों में से निम्नलिखित 02 प्रस्तावों की वापसी की अनुमति दी:

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**सेक्टर**	**परियोजना का स्थल**	**राज्य**	**कुल परियोजना लागत (लाख रूपए)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख रूपए)**	**अनुमोदन पत्र की तारीख**
1	मैसर्स मिल्क मंत्रा डेयरी प्रा.लि.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	जगतसिंहपुर	ओडिशा	1203.53	314.80	13.04.2018
2	मैसर्स प्रयान डेयरी फार्म्स प्रा.लि.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	चैन्नई	तमिलनाडु	1288.48	364.14	10.04.2018

(v) आईएमएसी ने अपने समक्ष रखे गए निम्नलिखित प्रस्ताव की वापसी के ऑन फाइल अनुमोदन की अभिपुष्टि की:

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**सेक्टर**	**परियोजना का स्थल**	**राज्य**	**कुल परियोजना लागत (लाख रूपए)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (लाख रूपए)**	**अनुमोदन पत्र की तारीख**
1	मैसर्स प्रगति मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	कटक	ओडिशा	706.30	212.88	13.04.2018

(vi) आईएमएसी ने दिनांक 10.04.2018 को प्रमोटर को जारी अनुमोदन पत्र के पैरा 3 (ख) के अनुसार 60 दिनों के भीतर अनुपालन हेतु अपेक्षित दस्तावेजों को न प्रस्तुत करने के संबंध में वेल्लोर,तमिलनाडु में **मैसर्स वेंकडसुब्बू** को स्वीकृत परियोजना के मामले पर विचार किया । आईएमएसी ने यह पाया कि मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.01.2019 को प्रमोटर को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । आईएमएसी ने उनके उत्तर पर विचार किया और यह पाया कि प्रमोटर, परियोजना की स्थापना के लिए संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में अपनी असमर्थता के कारण, अनुमोदन पत्र के अनुसार आवश्यक अनुपालनों में असफल रहा है । प्रमोटर, कारण बताने में भी समर्थ नहीं हो पाया

है कि क्यों न परियोजना को रद्द कर दिया जाए । आईएमएसी ने इसी आधार पर परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया ।

(vii) **मैसर्स मॉडल डेयरी प्रा.लि** . द्वारा दिनांक 08.10.2018 के पत्र के माध्यम से किए गए पुर्नगणना के अनुरोध को आईएमएसी ने खारिज कर दिया ।

(viii) आईएमएसी ने महाराष्ट्र के नाशिक जिले में मैसर्स सावित्री बाई फूले गोट फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लि. की परियोजना की वापसी पर नाशिक में एक परियोजना के अनुमोदन से संबंधित मामले पर विचार किया और मैसर्स कस्माडे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि. के प्रस्ताव को अनुमोदन जारी करने का निदेश दिया, जिसे, 147.00 लाख रूपए की अनुमोदित अनुदान सहायता से, पूर्व में पात्र पाया गया था ।

(ix) इसके अलावा, आईएमएसी ने स्कीम के अतंर्गत अनुमोदित निम्नलिखित मामलों में अनुदान सहायता की राशि को संशोधित किया :

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**सेक्टर**	**परियोजना का स्थल**	**अनुमोदित अनुदान (लाख रूपए)**	**संशोधित अनुदान (लाख रूपए)**
1	ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.	बागवानी	रायगढ, महाराष्ट्र	168.80	181.98
2	अनन्ता बायोटेक एलएलपी	बागवानी	फतेहपुर, उत्तर प्रदेश	76.36	82.49
3	एनआईएफ प्रा.लि.	दुग्ध एवं दुग्धउत्पाद	कानपुर, उत्तर प्रदेश	283.41	266.96
4	अमुथा देवी	बागवानी	तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	95.15	136.65
5	पोधीगई रिटेल इंडिया प्रा.लि.	बागवानी	कांचीपुरम, तमिलनाडु	259.51	424.48
6	मैसर्स वीआरएवी सेल्समार्ट प्रा.लि.	बागवानी	शोपियां, जम्मू एवं कश्मीर	411.61	413.53

****